93/2015 किशनलाल/गुलाबी देवी बनाम

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25-1-18	वकुलाये फरीकैन उपस्थित वास्ते बहस दिनांक 8-3-18 को पेश हो।	
8-3-18	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] 7-5-18 [illegible]	
7-5-18	वकुलाये फरीकैन उपस्थित वास्ते बहस दिनांक 30-7-18 को पेश हो।	
30-7-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील [illegible] तीन अधिकारी [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 18-9-18 को पेश हो।	
13-9-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलांट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोट प्रेस में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब [illegible] दाखिल दफतर हो। 13/9/18 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी [illegible]कर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official